letter rcs

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5 / अभि / सीटीएडी / लिफ्ट / 2020–21 / 15710-22 दिनांक : 23/6/2021

निदेशक,
स्वच्छ परियोजना,
पुलिस अन्वेषण भवन के आगे,
बडी रोड उदयपुर।

विषय : नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को सौलर ऊर्जा से संचालित करने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 424–33 दिनांक 05.01.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा जारी सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की क्रियान्विति सौर ऊर्जा के माध्यम से कराने की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम में स्वच्छ परियोजना से प्राप्त तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति की विभागीय आदेश क्रमांक एफ–6 ( ) लेखा / सीटीएडी / अधिकारो प्रत्यायोजन / 2020–21 / 5726 दिनांक 15.02.2021 अनुसार एक वर्ष मे 5 करोड़ के अधिक के कार्य स्वीकृत होने से प्रशासनिक व्यय 4 प्रतिशत एवं परिपत्र कमांक 9609–34 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कन्टिजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए जिसके अन्तर्गत 0.25 आयुक्तालय के खाते में निरीक्षण एवं वाहन हेतु आरक्षित रखने हेतु निम्नानुसार नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के निर्माण एवं स्थापना की कॉलम संख्या 5 अनुसार राशि 249.63 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जलोत्थान सिंचाई योजना का स्थान	प्रशा. स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		कृषक द्वारा 10 प्रतिशत देय राशि	विभाग द्वारा 90 प्रतिशत देय राशि	प्रथम किश्त देय राशि	0.25% कन्टिजेन्सी चार्ज राशि आयुक्त खाते में	प्रथम किश्त हस्तान्तरण योग्य राशि(8–9)
		क./दि.	राशि	क./दि.	राशि					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला उदयपुर									
1	नवीन सौलर जलोत्थान सिंचाई हंगीलाफला ग्रा.पं राठौडा पं.स सेमारी	424–33 05.01.2021	42.00	176/ 4.02.2021	49.67	4.70	44.97	35.97	0.12	35.85
	योग		**42.00**		**49.67**	**4.70**	**44.97**	**35.97**	**0.12**	**35.85**

letter rcs

	जिला डूंगरपुर									
2	नवीन सौलर जलोत्थान सिंचाई गेहियालाफला, ग्राम पंचायत देवगांव पं.स झलाप	424–33 05.01.2021	47.50	38/08.03.21	48.93	4.63	44.30	35.44	0.08	35.36
3	नवीन सौलर जलोत्थान सिंचाई गुरादा नई बस्ती, ग्राम पंचायत पंचायत समिति झौथरी	424–33 05.01.2021	47.00	41/08.03.21	51.80	4.84	46.96	37.57	0.08	37.49
4	नवीन सौलर जलोत्थान सिंचाई रामसौर बडा, ग्राम पंचायत रामसौरजूना पंचायत समिति सीमलवाडा	424–33 05.01.2021	50.00	40/08.03.21	48.50	4.59	43.91	35.13	0.11	35.02
5	नवीन सौलर जलोत्थान सिंचाई कनबा आदिवासी बस्ती ग्राम पंचायत कनबा पं. स. सीमलवाडा	424–33 05.01.2021	45.90	39/08.03.21	50.73	4.80	45.93	36.74	0.12	36.62
	योग		**190.40**		**199.96**	**18.86**	**181.10**	**144.88**	**0.39**	**144.49**
	महायोग		**232.40**		**249.63**	**23.56**	**226.07**	**180.85**	**0.51**	**180.34**

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 249.63 लाख में से टीएडी मद की देय राशि 226.07 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त की (80 प्रतिशत) राशि **180.85** लाख रू. की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–4/2020–21 राशि **633.61** लाख मे से **13.01** लाख एवं स्वीकृति संख्या–24/2020–21 राशि **167.33**लाख कॉलम संख्या 10 अनुसार रू. **180.34** लाख निदेशक, स्वच्छ परियोजना,उदयपुर को देय होगी एवं कॉलम संख्या 9 अनुसार राशि **0.51** लाख आयुक्त कार्यालय के खाते जमा होगी शेष राशि कार्य की प्रगति एवं हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

कार्य के सम्पादन मे कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना द्वारा निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही किया जावे। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
4. **राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।**

5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का Third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।

6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।

7. प्रस्तावित जल स्त्रोत में योजना की आवश्यकता के अनुरूप पानी की उपलब्धता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

8. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजनाओं मे लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि विवरण सत्यापित कर इस कार्यालय को सूचित किया जावें । योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषकों में से 50 प्रतिशत से अधिक (संख्या एवं क्षेत्रफल) जनजाति कृषक का होगा।

9. स्वीकृत राशि की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप मे लाभान्वित कृषको से ली जायेगी। कृषकों का अंशदान नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों कृषकों से अनिवार्य रूप से वहन किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किए जावें।

10. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के निर्माण क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु लाभार्थियों की समिति गठित की जावें एवं कमेटी का अध्यक्ष जनजाति लाभार्थियों में से होगा।

11. उपायुक्त टीएडी द्वारा निर्माण कार्यो की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता मे कमेटी गठित की जावें।

12. निर्माण कार्य पश्चात् कार्य संचालन हेतु उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाकर रख–रखाव हेतु प्रति माह बैठक रखी जावें तथा बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जावें।

13. निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन वर्ष तक परियोजनाओं का रखरखाव कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। योजना चालु होने का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष लाभान्वितों, स्वच्छ परियोजना एवं ग्राम पंचायत द्वारा अलग–अलग जारी किये जावें। इन प्रमाण–पत्रों के आधार पर ही प्रतिवर्ष रख रखाव का भुगतान किया जावें।

14. स्वच्छ परियोजना द्वारा समय–2 पर (सिंचाई के समय 15 दिवस एवं शेष समय में 2 माह में एक बार) लाभान्वितों की बैठक आयोजित की जावें । जिसमें संचालन व्यय, लाभार्थी द्वारा उपभोग की गई विद्युत युनिट का भुगतान कराना एवं आपसी विवाद यथा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचना, आदि समस्याओं का निराकरण किया जावें।

15. स्वच्छ परियोजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समय–समय पर कृषि अधिकारियों/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा फसल चक्र, उन्नत बीज, खाद की जानकारी कृषकों को दी जावें।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS

आयुक्त

letter rcs

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/ लिफ्ट/2020–21/ 15710–22 दिनांक : 23/6/2021

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर /डूंगरपुर ।
4. उपायुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर /डूंगरपुर ।
5. परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना, पुलिस अन्वेषण भवन के आगे बडी रोड उदयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कार्य की कुल राशि 249.63 लाख में से कॉलम संख्या 7 टीएडी मद की देय राशि 226.07 लाख के विरूद्व कॉलम संख्या 10 अनुसार 180.34 लाख रू. निदेशक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तान्तरित करावें एवं कॉलम संख्या 9 अनुसार राशि 0.51 लाख आयुक्त कार्यालय में कार्यो की मॉनिटरिंग मद में आरक्षित रखी जावें। विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–4/2020–21 राशि 633.61 लाख मे से **13.01** लाख एवं स्वीकृति संख्या–24/2020–21 राशि **167.33** लाख हस्तांतरित होगी।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, साबेला बायपास रोड हॉटल गोल्डन विंग के पीछे नवाडेरा, डूंगरपुर।
9. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अति. आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad@ rajasthan.gov.in,Website www.tad.rajasthan.gov.in